

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/545/94/अलेसे-III/1495

दिनांक :- 15.04.2015

कार्यालय आदेश

श्री देवेन्द्र पाल सिंह, क0 लेखाकार को राजस्थान सेवा नियम 96(1) के तहत दिनांक 19.12.2013 से 22.12.2013 तक कुल 04 दिवस का असाधारण अवकाश (चिकित्सकीय आधार पर) एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।



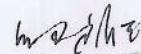
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/545/94/अलेसे-III/1496-97

दिनांक :- 15.04.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोहर (हनुमानगढ़) को निर्देशित कर लेख है कि श्री देवेन्द्र पाल सिंह, क0 लेखाकार को स्वीकृत असाधारण अवकाश का इन्द्राज इनकी सेवापुस्तिका में लाल स्याही से आवश्यक रूप से करावे।
2. श्री देवेन्द्र पाल सिंह, क0 लेखाकार कार्यालय वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोहर (हनुमानगढ़) को सूचनार्थ।
3. उपनिदेशक (computer)



(जसवन्त सिंह)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)